अध्याय I: परमाणु ऊर्जा विभाग

न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

1.1 परिवहन सुविधा का लाभ उठाने वाले कार्मिकों को शहर/स्थल परिवहन भत्ते का भुगतान

न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उन अधिकारियों/स्टाफ को शहर/स्थल परिवहन भत्ते का अदेय लाभ दिया जिन्हें पहले से ही स्वतंत्र कार/परिवहन सुविधा प्रदान की जा रही थी। इसके परिणामस्वरूप सितम्बर 2008 से मार्च 2015 के दौरान ₹105.47 करोड का अतिरिक्त व्यय हुआ।

न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के निदेशक बोर्ड (बीओडी) ने एनपीसीआईएल में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (6वें सीपीसी) की सिफारिशें लागू करने का अनुमोदन दिया (सितम्बर 2008)। वेतन और भत्तों से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित करते समय, बीओडी ने लागत प्रभावकारिता और परिचालनात्मक व्यवहार्यता सहित विभिन्न घटकों को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआईएल मुख्यालय और एनपीसीआईएल स्थलों के लिए पृथक रूप से परिवहन भत्ते देने का निर्णय लेने के लिए अपने अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक (सीएमडी) को प्राधिकृत किया।

सीएमडी ने स्वतंत्र कारों/परिवहन सुविधा का पहले से लाभ लेने वाले अधिकारियों/स्टाफ के लिए परिवहन भत्ते को पुनः नामित कर मुख्यालय के लिए शहर परिवहन भत्ता (सीसीए) और स्थलों के लिए स्थल परिवहन भत्ते (एससीए) के भुगतान का अनुमोदन किया (अक्तूबर 2008) । उक्त सीसीए/एससीए को परिवहन सुविधा का लाभ न लेने वाले कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित कर परिवहन भत्ते की दर के 40 *प्रतिशत* पर परिकलित किया गया था (आधार दर)। स्वतंत्र कार/परिवहन सुविधा का पहले से लाभ लेने वाले अधिकारियों/स्टाफ को सीसीए/एससीए के भुगतान की अनुमति देते समय यह कहा गया कि पास के इलाके के बाजार में ट्रिप की लागत सहित आवास से कार्य स्थल और वापिस की परिवहन की लागत एनपीसीआईएल की समग्र परिवहन लागत का लगभग 60 *प्रतिशत* बनता है और इसलिए एनपीसीआईएल द्वारा पहले से स्वतंत्र कार/परिवहन सुविधा का लाभ लेने वाले उन अधिकारियों/स्टाफ को 40 *प्रतिशत* की आधार दर पर सीसीए/एससीए की अनुमति दी गई थी।

उन अधिकारियों/स्टाफ को सीसीए/एससीए की अनुमति, जिन्हें आवास से कार्य स्थल और आसपास के इलाके में स्वतंत्र कार/परिवहन की सुविधा पहले से प्रदान की गई हो,

उन्हें परिवहन भत्ते के स्थापित सिद्धान्त का पूर्ण उल्लंघन था और इसके कारण सितम्बर 2008 से मार्च 2015 के दौरान ₹ 105.47 करोड़ का परिणामी अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2013) कि नाभिकीय सुरक्षा विवेचन के कारण यह अनिवार्य है कि एनपीसीआईएल आकस्मिक तैयारी के भाग के रूप में कर्मचारियों की निकासी के उद्देश्य के साथ साथ स्थानीय अशान्ति इत्यादि के दौरान स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गाडियों के समूह का अनुरक्षण करें। इसके अलावा, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की दूरी और युवा कौशल का स्थलों पर कार्य करने की अनिच्छा को ध्यान में रखते हुए, एनपीसीआईएल आकर्षक और धारण नीति के भाग के रूप में कई वृद्धिशील संबंधी उपाय कर रहा है। इसलिए, जैसा कि बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया था, एनपीसीआईएल कार्मिकों को परिवहन भत्ते की जगह कन्वेयन्स भत्ता देने का निर्णय लिया गया था जो कि लगभग परिवहन भत्ते की दर से तुलनीय होगा। अतः परिवहन भत्ते की राशि को अन्तिम रूप देते समय, यह निर्णय लिया गया था कि उन कार्मिकों जिन्हें कार्यालयी परिवहन प्रदान किया गया था को भी 40 *प्रतिशत* की आधार दर पर भुगतान किया जाए।

प्रबन्धन ने आगे बताया (दिसम्बर 2015) कि छठे सीपीसी में कर्मचारियों को कम्पनी परिवहन या परिवहन भत्ते में चयन करने की अनुमति दी गई थी। अतः चयन करने को दिया जाए तो शायद कर्मचारी उस भत्ते का चयन करेंगे जिससे सुरक्षा और आकस्मिक स्थिति प्रबन्धन से प्रभावी रूप से संभवत करार हो सकता था। चूंकि, एनपीसीआईएल को रक्षा, सुरक्षा और आकस्मिक तैयारी के लिए परिवहन दल का अनुरक्षण करना अपेक्षित है, इससे सभी कर्मचारियों को पूरे परिवहन भत्ते के भुगतान के अलावा विनियामक आवश्यकता को पूरा करने के दृष्टिगत अनिवार्य परिवहन समूह के अनुरक्षण पर अतिरिक्त व्यय होगा। इस प्रकार इष्टतम और आकर्षक प्रस्ताव बनाने के लिए शिफ्ट कार्य सहित सभी समय जो अन्यथा कठिन होता, यदि कर्मचारियों को अपने वाहनों में आने जाने की अनुमति दी जाती तो कर्मचारियों के साथ काफी विवेचना और परामर्श प्रक्रिया के बाद परिवहन भत्ते की एक योजना बनाई गई थी। इस प्रकार, समय की पाबंदी और अनुशासन सुनिश्चित किया गया था।

प्रबन्धन का उत्तर अमान्य है क्योंकि परिवहन भत्ता कर्मचारी द्वारा उसके आवास से कार्य स्थल पर आने जाने पर किए गए व्यय के लिए है। उस मामले में यदि कर्मचारी को आवास और कार्यालय के बीच आने जाने के लिए कार्यालयी परिवहन (कार, बस इत्यादि) प्रदान किया जाता है तो किसी भी प्रकार के परिवहन भत्ते की राशि का भुगतान करने में कोई तर्कसंगतता नहीं हैं। इसके अलावा, स्थलों पर युवा प्रतिभाओं को रखने के लिए तथ्य यह है कि स्थानीय असुविधा को आफसेट करने के लिए प्रचालन

स्टेशनों/परियोजनाओं/नए स्थलों पर तैनात अधिकारियों को मूल वेतन के 10 *प्रतिशत* की दर से पहले से ही स्थल भत्ते तथा गैर अभ्यास भत्ता का भुगतान (कम्पनी के चिकित्सा अधिकारियों के संबंध में) पहले ही किया जा रहा था। इसके अलावा, एनपीसीआईएल का निर्णय कि कर्मचारियों द्वारा अपने स्वयं के परिवहन के प्रयोग द्वारा स्थापना की सुरक्षा से करार और इससे अनुचित रूप से मंदी हागी, से एनपीसीआईएल कर्मचारियों के प्रतिकूल व्यवहार का पता चलता है जो अस्वीकार्य है।

इस प्रकार स्वतंत्र कार/परिवहन सुविधाओं का पहले से लाभ लेने वाले अधिकारियों/स्टाफ को सीसीए/एससीए का भुगतान न केवल भारत सरकार के नियमों का उल्लंघन था किन्तु इसके परिणामस्वरूप सितम्बर 2008 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान ₹105.47 करोड़ की राशि का अतिरिक्त व्यय भी हुआ।

मामला मंत्रालय को अक्तूबर 2015 में भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।